

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)


परिपत्र

संदर्भ सं.झा.के.वि./हि.क./म.सं.वि.मं./6/2010/347

दिनांक - 5 जुलाई, 2018

विषय - मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक कार्यालय ज्ञापन का वितरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01 मई, 2018 के फा सं 13035-13/2016-रा.भा.ए. से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन आपकी जानकारी तथा अधिकाधिक प्रयोग के लिए संलग्न है।



हिन्दी अधिकारी (प्रभारी)

वितरण -

1. सभी डीन
2. परीक्षा नियंत्रक
3. पुस्तकालयाध्यक्ष
4. सभी अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष / समन्वयक
5. उप कुलसचिव (प्रशासनिक) / परीक्षा
6. आंतरिक लेखा अधिकारी (प्रभारी क्रय)
7. कार्यपालक अभियंता
8. सहायक कुलसचिव I/II/III
9. सिस्टम एनालिस्ट - विश्वविद्यालय वेबसाइट के लिए
10. चिकित्सा अधिकारी
11. प्रशासन के सभी अनुभाग

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. संबंधित फाइल
5. गार्ड फाइल


हिन्दी अधिकारी (प्रभारी)

फा.सं. 13035-13/2016-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 01 मई, 2018

कार्यालय जापन

विषय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में।


मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई, 2018 को नई दिल्ली में होने वाली बैठक के संबंध में समिति के एक माननीय सदस्य श्री हरवीर सिंह शास्त्री जी से निम्नलिखित सुझाव (प्रति संलग्न) प्राप्त हुए हैं :-

" कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग मंत्री-अधिकारियों और कर्मचारी सभी गर्व के साथ करें। पत्रोत्तर राजभाषा में अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के व्यावहारिक शब्दों को बोलने में गर्व अनुभव करें, जैसे - नमस्ते, नमस्कार श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, कृपया धन्यवाद आदि। इनके स्थान पर यदि हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते रहे तो राजभाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा?

परिवार में भी राजभाषा अथवा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे - माता, पिता, बहिन, चाचा, चाची आदि। इसके विपरीत अनेक परिवारों में विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग अहितकर है।

सामाजिक जीवन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें परस्पर संवाद राजभाषा में करना चाहिए। पत्र व्यवहार हिंदी में करना चाहिए। सभा में भाषण भी राजभाषा में करना चाहिए।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के प्रमुखों की सूचनार्थ माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव भेजे जा रहे हैं।



(सुनीति शर्मा)
निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23380429

वितरण :-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थान।